भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रम्ति एफ-1-34/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला छतरपुर की तहसील छतरपुर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-अ के पटवारी हल्का क्र. 55 से 75 एवं 77, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-अ के पटवारी हल्का क्र. 21 से 25, राजस्व निरीक्षक वृत्त महेवा के पटवारी हल्का क्र. 50 से 54 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त इंशानगर के पटवारी हल्का क्र. 48 एवं 49 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील छतरपुर के राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-अ के पटवारी हल्का क्र. 55 से 75 एवं 77, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-ब के पटवारी हल्का क्र. 51 से 25, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-अ के पटवारी हल्का क्र. 55 से 75 एवं 77, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-व के पटवारी हल्का क्र. 21 से 25, राजस्व निरीक्षक वृत्त महेवा के पटवारी हल्का क्र. 50 से 54 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त ईशानगर के पटवारी हल्का क्र. 48 एवं 49 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील छतरपुर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 34 पटवारी हल्के होंगे और 60 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय छतरपुर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-34/2018/सात-6 म् आरत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-34/2018/सात-6 दिनांक 17(12)2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-34/2018/VII/6 In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsli Chhatarpur of District Chhatarpur from 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 55 to 75 and 77 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur-A, Patwari Halka No. 21 to 25 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur-B, Patwari Halka No. 50 to 54 of Revenue Inspector Circle Maheba and Patwari Halka No. 48 and 49 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur-A, Patwari Halka No. 21 to 25 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur-A, Patwari Halka No. 21 to 25 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur-B, Patwari Halka No. 50 to 54 of Revenue Inspector Circle Maheba and Patwari Halka No. 48 and 49 of Revenue Inspector Circle Isagarh of Tehsil Chhatarpur, in which the total patwari Halkas shall be 34 and villages Shall be 60. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chhatarpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao, Principal Secretary.